न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0

अपील संख्या :–**17/2020**

अपीलान्टः–

1. नेमीचन्द पुत्र छगनाराम जाति माली निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. नायब तहसीलदार, मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. पटवारी हल्का सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 11/2019 दिनांक 03.12.2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुद्रासन बनाम नेमीचन्द पुत्र छगनाराम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मौलासर अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–**04.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मौलासर के प्रकरण संख्या 11/2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुद्रासन बनाम नेमीचन्द पुत्र छगनाराम में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुद्रासन ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार मौलासर को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम क्यामसर के खसरा नंबर 62 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 546 वर्ग फुट भूमि पर वर्ष 2019 सम्वत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा क्यामसर के खसरा नंबर 62 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 546 वर्ग फुट भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा क्यामसर के खसरा नंबर 62 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता में से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 01/– अक्षरे एक रूपये कायम किया गया।

{3} अपीलांट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.12.2019 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त करने योग्य है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.12.2019 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} 4. यह है कि नायब तहसीलदार मौलासर द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। जिस भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एव जिस पर नायब तहसीलदार मौलासर द्वारा जुर्माना व बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है मात्र 2 पैसे का जुर्माना 50 गुणा राशि 1 रूपये बताया गया है व मिथ्या बताया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नह किया गया हैं ।

{3} 5. यह है दिनांक 15.10.2019 को पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी। इसके पश्चात कभी भी अपीलांट की जवाबदेही बन्द नही की गई। उसके बावजूद बिना साक्ष्य से बिना जवाब के उक्त निर्णय पारित कर दिया।

{3} 6. यह है कि उक्त अपील में वर्णित खसरान पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है महज अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं।

{3} 7. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयान भी नही लिये गये है केवल मात्र रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 28.02.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 02.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/172 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 03.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल मौका फर्द एवं नकल मौका रिपोर्ट एव भौतिक बेदखली एवं मांग कायमी आदेश की प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.12.2019 को हुआ है तथा प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 24.02.2020 को नकले प्राप्त करने से हुई। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य हैं जिससे अवधि दिनांक 03.12.2019 से 24.02.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेष फरमावे। अपीलार्थी/प्रार्थी को जानकारी का अभाव होने एवं अज्ञानतावश अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर, सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 03.12.2019 से 24.02.2020 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एवं आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर कोई अनाधिकृत अतिक्रमण नही किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य से बिना जवाब के उक्त निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्य अंकित कर निर्णय पारित किया है । आगे अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा नही होने से तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्व मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य हैं।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुद्रासन की रिपोर्ट जिसके अनुसार मौजा क्यामसर के खसरा नंबर 62 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 546 वर्ग फुट भूमि पर वर्ष 2019 सम्वत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने स्वयं ने नोटिस की एक प्रति प्राप्त की है जिस पर अप्रार्थी/अपीलान्ट के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा आदेशिका दिनांक 20.09.2019 के अनुसार अपीलांट/अप्रार्थी की और से वकील श्री योगेश कुमार एवं रामेश्वरलाल खेड ने वकालत नामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी की और से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2019 को उक्त खसरे की वास्तविक स्थिति का पता लगाने एवं पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2019/493–95 दिनांक 15.10.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक नूवां एवं पटवारी हल्का सुद्रासन/लादडिया को उक्त खसरान की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक नूंवा/दौलतपुरा एवं पटवारी हल्का सुद्रासन/लादडिया द्वारा की गई, दिनांक 29.11.2019 को की गई जांच जांच रिपोर्ट से यह यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का सुद्रासन द्वारा पेश रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा ग्राम क्यामसर के खसरा नंबर 62 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 546 वर्ग फुट भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है , की पुष्टि होती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि हैं तथा वर्तमान में भी राजस्व रिकार्ड में रास्ते के नाम से दर्ज होकर सार्वजनिक उपयोगार्थ है, जिस पर आमजनों की आवाजाही रहती हैजिसे बन्द/अतिचार किये जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधी संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हैं। उसके अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम क्यामसर के खसरा नंबर 62 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 546 वर्ग फुट भूमि पर वर्ष 2019 सम्वत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.12.2019 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकरअपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)